

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2035 / 2014 / भीलवाड़ा

मैसर्स राज टैक्सटाईल्स, भीलवाड़ा

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त भीलवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वेदराज गहलोत, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 28 / 12 / 2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 89/वेट/रेस्टो/2013-14 पारित अपीलीय आदेश दिनांक 22.09.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त भीलवाड़ा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.09.2011 के जरिये आरोपित शास्ति रूपये 1,62,760/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा दिनांक 29.09.2011 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान मैसर्स राजहंस रोडलाइन्स प्रा0लि0, भीलवाड़ा पर बिल्टी संख्या 47216 को चैक किया। इस बिल्टी के जरिये परिवहनित माल- यार्न राज्य में आयातित किया जा रहा था। बिल्टी के साथ मैसर्स राहुल रेयॉन, मुम्बई का बिल संख्या आरआरसी 017 दिनांक 16.09.2011, यार्न कीमतन रूपये 461794 एवं घोषणा पत्र वेट 47 संख्या 5114649 संलग्न था। घोषणा पत्र वेट 47 अपूर्ण भरा हुआ पाया गया, जिससे व्यवहारी की करवंचना की मंशा मानते हुए अधिनियम की धारा 76(5)(अ) के तहत धारा 76(2)(बी) कि प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने सशक्त अधिकारी द्वारा पर व्यवहारी के विरुद्ध धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,62,760/- आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को

३१

निरन्तर.....2

यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा बम्बई से यार्न आयातित किया जा रहा था, जिसके साथ प्रपत्र वैट 47 विद्यमान था जिसे सशक्त अधिकारी ने टाईमबार व अधूरा भरा हुआ मानते हुए शास्ति आरोपण किया है जबकि यह जानकारी दिये जाने पर अपीलार्थी द्वारा नया फॉर्म वैट 47 प्रस्तुत कर दिया गया जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अमान्य कर शास्ति आरोपित कर दी। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि घोषणा पत्र पर इसकी वैधता की अवधि/तिथि अंकित नहीं होने पर इसे अवधि पार नहीं माना जा सकता है। द्वितीयतः, घोषणा पत्र VAT 47 अपूर्ण भरे हुए होने के सम्बन्ध में कथन किया कि अन्य सभी दस्तावेज माल के साथ में थे जिनमें सभी सूचनाएं उपलब्ध थी। अतः घोषणा पत्र VAT 47 का कोई कॉलम खाली रह जाने को मात्र मानवीय एवं तकनीकी भूल माना जाना चाहिए, जिस पर शास्ति आरोपण पूर्णतः अनुचित है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि परिवहनित माल के साथ जो घोषणा पत्र वैट 47 पेश किया गया है वह अपूर्ण भरा हुआ एवं अवधिपार पाया गया। अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपटित नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित कर योग्य माल को राज्य के बाहर से आयात करते समय वैध एवं पूर्णतया भरा हुआ घोषणा पत्र वैट 47 संलग्न किया जाना आज्ञापरक है। उन्होंने बताया कि मूल प्रस्तुत उक्त घोषणा पत्र VAT 47 क्रमांक 5114649 के प्रमुख कॉलम यथा प्रेषक का नाम, उसके टिन संख्यांक, सौदे की प्रकृति, घोषणाकर्ता का नाम, उसके हस्ताक्षर तथा उसकी प्रास्थिति की सील आदि रिक्त हैं। यही नहीं, उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि बाद में पेश किये गये घोषणा पत्र VAT 47 क्रमांक 9509602 के भी प्रमुख कॉलम रिक्त हैं, अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 5192/2005 मैसर्स गुलजग इन्डस्ट्रीज़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्रकरण में दिये गये निर्णय के प्रकाश में शास्ति आरोपण पूर्णतः विधिसम्मत है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अध्ययन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल प्रस्तुत घोषणा पत्र VAT 47 संख्या 5114649 तथा व्यवहारी द्वारा जो नया फॉर्म वैट 47 नम्बर 9509602 प्रस्तुत किया था



उसके कॉलम संख्या 1 में Name of Consignor and TIN के कॉलम रिक्त पाये गये इस कारण प्रपत्र अधूरा भरा हुआ था। अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपटित नियम 53 के प्रावधानों में स्पष्टतया प्रावधान किये गये हैं कि अधिसूचित करयोग्य माल के परिवहन के दौरान पूर्णतया भरा हुआ वैध घोषणा पत्र वैट 47 संलग्न किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में नियम 53(1) के क्लॉज (iii) में प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं, जो कि निम्नानुसार है:-

"(iii) who intends to bring, import or otherwise receives any taxable goods as may be notified by the State Government, from outside the State for use, consumption, or disposal otherwise than by way of sale; shall furnish or cause to be furnished a declaration in Form VAT-47, completely filled in all respect in ink and ensure that the value, date and month of use of such Forms shall be punched at the specified place provided for in the Form."

6. अतः प्रस्तुत प्रकरण में नियम 53 में यथा निर्दिष्ट विधिक प्रावधानों की व्यवहारी द्वारा पालना नहीं की गयी है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सिविल अपील नं० 5197 आफ 2005 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के वाद में पारित निर्णय में भी यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"we hold that Section 78(5) of the RST Act 1994 (Section 22A(7) of the RST Act 1954) is the section enacted to provide remedy for loss of revenue and it is not enacted to punish the offender for committing economic offence and, therefore, mens rea is not an essential ingredient for contravention of Section 78(2) of the RST Act 1994. That, the breach of Section 78(2) would attract the levy of penalty under Section 78(5) in cases where the goods in movement have travelled with an incomplete Form No.18A/18C. We accordingly uphold the judgment of the High Court of Rajasthan in Sales Tax Revision No.1023/2002 dated 14.10.03 "


8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी निर्णय में निम्न विवेचन भी किया हुआ है :-

"The declaration forms were unfilled so that they could be used again and again. The forms were collected by the consignee from the said Department. The consignee undertakes to see that the value of the goods is supplied by the consignor. It is not open to the consignee to keep the column in respect of the description of goods as blank. Even

38

the column dealing with nature of transaction is left blank. The consignee is the buyer of the goods. He knows the descriptions of the goods which he is supposed to buy. There is no reason for leaving that column blank. Therefore, there are no special circumstances in any case for waiver of penalty for contravention of Section 78(2). The assesseees were fully aware that the goods in movement had to be supported by Form ST 18A/18C. Therefore, they made the goods travelled with the forms. However, the said forms are left blank in all material respects. Therefore, A.O. was right in drawing inference of mens rea against the assesseees"

9. उक्त न्यायिक निर्णय के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में परिवहनित माल के सम्बन्ध में घोषणा पत्र वैट 47 अपूर्ण भरा हुआ था जिसके material columns भरे हुए नहीं थे, अतः विधिक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण धारा 76(2)(b) सपठित नियम 53 का उल्लंघन होना प्रमाणित एवं पुष्ट पाया जाता है, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति, वह विधिसम्मत पाई जाती है।
10. परिणामतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।


28.12.2017
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य